न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओ.पी. बिश्नोई आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 08/2018

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
1. मैसर्स विश विण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एल.एल.पी. मुम्बई हाल जैसलमेर।	बनाम	1. सरकार जरिये तहसीलदार, फतेहगढ।

अपील धारा 75 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्व आदेश तहसीलदार, फतेहगढ दिनांक 26.12.2016 मुकदमा संख्या 3719/15 (1/16) सरकार बनाम मैसर्स विश विण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ।

उपस्थित :–

1. श्री एम.डी. जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. तहसीलदार,फतेहगढ, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांकः– 14,अगस्त,2020

अपीलांट द्वारा तहसीलदार, फतेहगढ के आदेश दिनांक 26.12.2016 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट प्रस्तुत की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा सन् 2011 में अपीलांट को ग्राम मोढा गणेशपुरा व ग्राम छोड आदि ग्राम में कुल 3300. 02 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। उक्त आवंटित भूमि की लीजडीड निस्पादित की गई एवं पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया, ओर उसी कब्जे के अनुरूप अपीलांट द्वारा निर्माण करवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा जो कब्जा दिया गया था, तद्नुसार ही मौके पर अपीलांट काबिज हुए थे। जरीबों से माप ओर वर्तमान में सर्वे जीपीएस मशीन के माप में काफी फर्क आता है। तहसीलदार, फतेहगढ द्वारा पैमाईस रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोढा गणेशपुरा के खसरा नम्बर 43 में कम्पनी की लोकेशन संख्या 934 बताई गई। जबकि ये खसरा नम्बर ग्राम मोढा गणेशपुरा व ग्राम छोड की सरहद पर है। ग्राम मोढा गणेशपुरा में पैमाईश की जाकर उक्त भूमि को अतिकमित भूमि घोषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई, ग्राम छोड व ग्राम मोढा गणेशपुरा की सरहद में ओवरलीपिंग है, तथा जरीब व जीपीएस के नाप में भी फर्क आना स्वाभाविक है। ओवरलीपिंग सेटलमेन्ट के बन्दोबस्त से है। वक्त सेटलमेन्ट माप कार्यवाही जरीब से हुई थी, व तदनुसार ही रिकोर्ड का संधारण किया गया। अदालत मातहेत द्वारा बिना विवेक व रिकोर्ड का मनन किये दिनांक 26.12.2016 को निर्णय पारित किया गया जबकि मौके पर दोनो खसरान एक दुसरे से लगते हुए है। ग्राम छोड की तरफ से नपाई नही की गई। जबकि अपीलांट की ग्राम छोड में भूमि आवंटित है। ग्राम छोड के मुस्तिकल पोईन्ट से नपाई नही की गई। जब आवंटित भूमि का ही नाप नही किया गया तो अपीलांट को आवंटित भूमि पर विपरित असर आना ही था। जब पटवारी हल्का द्वारा इस तरह के तथ्य अपीलांट के संज्ञान में लाये गये तथा जानकारी की तो पता चला की इस संबंध में निर्णय दिनांक 26.12.2016 को पारित किया जा चुका है। जबकि इसकी जानकारी अपीलांट को नही दी गई, न ही हुई। अतः धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अंदर म्याद है। यह है कि अपील मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। यह है कि अपील कोर्ट फीस स्टाम्प अलावा तलबाना के पेश है। यह है कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतः अपील अपीलांट पेश कर अर्ज है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(एडीएम) जैसलमेर

Scanned by CamScanner

किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व अपीलांट को सुनवाई का मौका दिया जावे एवं सही सीमांकन की जांच करवाने का अनुरोध चाहा गया है।

रेस्पोडेन्ट तहसीलदार, फतेहगढ द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है कि अपील मे ' पैरा संख्या 01 से 03 सही नही होने से स्वीकार योग्य नही है। पैरा संख्या 04 से 06 न्यायालय से व पैरा संख्या 07 बहस से सम्बन्धित होना बताया गया है। न्यायालय नायब तहसीलदार, फतेहगढ व तहसीलदार, फतेहगढ द्वारा बाद जांच के विधिक रूप से सही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा बिना किसी प्रमाणित तथ्यो के आधार पर अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क रखा कि अपीलार्थी को अपना कथन प्रस्तुत करने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर नही दिया गया। राजस्व टीम द्वारा कब्जा सुपुर्द करने पर ही कपंनी द्वारा निर्माण कार्य किया गया। जरीब द्वारा नापकर पूर्व में अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया गया व कपंनी मौके पर तद्नुसार काबिज है। वर्तमान में जीपीएस मशीन से सर्वे करवाया गया। ग्राम छोड व ग्राम मोढा गणेशपुरा की सरहद पर ओवरलीपिंग है, जो सेटलमेन्ट के बंदोबस्त से है। अधिवक्ता का आगे तर्क रहा है कि तहसीलदार, फतेहगढ द्वारा अपीलांट का पक्ष नही सुना गया न ही जवाब/सुनवाई का विधिवत मौका दिया गया। ग्राम छोड की तरफ से नाप नही किया गया जबकि जमीन ग्राम छोड में आवंटित है। ग्राम छोड के मुस्तिकल बिन्दु से नाप नही किया गया। अतः स्वतंत्र व निष्पक्ष टीम का गठन किया जाकर ग्राम छोड के मुस्तिकल बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए जरीब से भूमि की पैमाईस करने की इस्तदुआ की।

उभयपक्षो की बहस सुनी गई एवं रेकर्ड के अवलोकन व अध्ययन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के निर्णय के दौरान अपीलांट की विधिवत सुनवाई नही हुई। भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होने के कारण मापन में मानवीय त्रूटी की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। प्रकरण दो गांवो की सरहद की भूमि का है, दो गांवो की सरहद पर ओवरलीपिंग की अमूमन संभावनाए रहती है, साथ ही जरीब व जीपीएस से नाप में भी मौके की भौगोलिक संरचना के कारण फर्क आता है। ऐसी दशा में बहस अपीलार्थी से सहमत होते हुए अपील स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार, फतेहगढ का आदेश दिनांक 26.12.2016 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वक्त सेंटलमेन्ट में प्रयुक्त आधार बिन्दुओं/ मुस्तिकल बिन्दुओ से जरीब का उपयोग किया जाकर ग्राम छोड व ग्राम मोढा गणेशपुरा दोनो तरफ से कुशल व स्वतंत्र टीम द्वारा अपीलार्थी की उपस्थिति में विस्तृत माप/सर्वेक्षण कार्य करने के पश्चात विधि सम्मत कार्यवाही की जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 14.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर

Scanned by CamScanner